Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Government of Haryana

No. 40–2025] CHANDIGARH, MONDAY, OCTOBER 6, 2025 (ASVINA 14, 1947 SAKA)

PART-I

Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government

हरियाणा सरकार

विरासत तथा पर्यटन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 29 सितम्बर, 2025

संख्या 12/250–2024/पुरा/3982–90.– हरियाणा प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (1964 का पंजाब अधिनियम 20) की धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, विरासत तथा पर्यटन विभाग, अधिसूचना संख्या 12/250–2024/पुरा/2049–57, दिनांक 25 अप्रैल, 2025 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारकों को संरक्षित संस्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5, 6 तथा 7 में यथा विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं:–

अनुसूची

प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक का नाम	पुरातत्वीय स्थलों तथा अवशेष का नाम	गांव/शहर का नाम	तहसील/जिला का नाम	संरक्षणाधीन राजस्व खसरा/किला संख्या	संरक्षित किया जाने वाला क्षेत्र कनाल–मरला	स्वामित्व	विशेष कथन
1	2	3	4	5	6	7	8
कैथल का किला, 18वीं शताब्दी पूर्व	कैथल का किला, 18वीं शताब्दी पूर्व	कैथल	कैथल	1340/58 5	16–3	केन्द्रीय सरकार और नगर निगम	कैथल किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में कैथल के भाई परिवार के पहले शासक देसु सिंह ने करवाया था। बाद में यह ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन आ गया, जिसने शहर में सामग्री और अन्य वस्तुओं के प्रवेश को नियंत्रित किया। बाद में देसु सिंह के बेटे लाल सिंह ने कैथल के किले में कई और चीजें जोड़ी। भाई उदय सिंह द्वारा काफी परिवर्तन किए गए। उन्होंने मिट्टी की संरचना को ईंटों से लगभग नए किले में बदल दिया। 18वीं–19वीं शताब्दी में इस इमारत का इस्तेमाल निवास और प्रशासनिक भवन के रूप में किया गया और बाद में इसे पुलिस थाने के रूप में इस्तेमाल किया गया।

कला रामचंद्रन,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विरासत तथा पर्यटन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

HERITAGE AND TOURISM DEPARTMENT

Notification

The 29th September, 2025

No. 12/250-2024/pura/3982-90.— In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of section 4 of the Haryana Ancient and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 (Punjab Act 20 of 1964) and with reference to Haryana Government, Heritage and Tourism Department, notification No. 12/250-2024/pura/2049-57, dated the 25th April, 2025, the Governor of Haryana hereby declares the ancient and historical monuments specified in column 1 of the Schedule given below to be a protected monument and archaeological site and remains as specified in columns 2, 3, 4, 5, 6 and 7 of the said Schedule to be a protected area:-

SCHEDULE

Name of ancient and historical monuments	Name of archaeological sites and remains	Name of village/ city	Name of tehsil / district.	Revenue Khasra/ Kila number under protection.	Area to be protected Kanal-Marla	Ownership	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8
Kaithal Fort, 18th CE	Kaithal Fort, 18th CE	Kaithal	Kaithal	1340/585	16-3	Central Government and Municipal Corporation	Kaithal Fort was built by Desu Singh, the first ruler of Bhai family of Kaithal during the 18th century. Later it became the possession of the British Empire who controlled the entry of goods and other items in the city. Subsequently, Desu Singh's son, Lal Singh, made additions to the fort of Kaithal. More changes were made by Bhai Uday Singh. He transformed the mud structure into an almost new fort with bricks. The building was used as a residence and administrative building in the 18th – 19th century and later used as a Police Station.

KALA RAMACHANDRAN,
Principal Secretary to Government Haryana,
Heritage and Tourism Department.

12154—C.S.—H.G.P., Pkl.